ग्रामीण विकास विभाग

# जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई का कार्यालय

*(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई)*

*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छ बिहार, अभियान*

---

## निविदा आमंत्रण संख्या :– 01/DWSC/JAM-2018-19

### ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई ग्रामीण उधमियों (Rural Entrepreneurs) एवं उत्पादन केन्द्र व्यवस्थापकों से जमुई जिला के सभी पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता मार्ट एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है। इच्छुक ग्रामीण उधमी/साझेदारी फर्म/कम्पनी/संस्था संबंधित कागजतों के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र संलग्न कर निदेशक–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई (डी0आर0डी0ए0,) पुराना कोषागार कार्यालय, समाहरणालय, जमुई के कार्यालय से परिमाण विपत्र प्राप्त कर सकते है।

- परिमाण विपत्र का मूल्य :–₹ 5000.00 (जो लौटाया नहीं जायेगा)
- सुरक्षित जमा राशि :–₹ 50000.00 (पचास हजार रू0) का किसान . विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र।
- परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि :–दिनांक 04.05.2018 को अप0 05:00 बजे तक।
- परिमाण विपत्र जमा करने की तिथि :–दिनांक 05.05.2018तक अप0 03:00 बजे तक।
- परिमाण विपत्र जमा करने का स्थान :–निदेशक–सह–सदस्य–सचिव, जिला जल एवं . स्वच्छता समिति (डी0आर0डी0ए0) पुराना . कोषागार कार्यालय, समाहरणालय, जमुई
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि :–दिनांक 05.05.2018 को अप0 03:30 बजे तक।

नोट :– निविदा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई के कार्यालय अथवा जिला के वेवसाइट https://jamui.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

25.4.18

निदेशक
सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
जमुई

ग्रामीण विकास विभाग

# जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई का कार्यालय

*(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई)*

*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छ बिहार, अभियान*

## आमंत्रण संख्या :– 01/DWSC/JAM-2018-

**ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण।**

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई ग्रामीण उधमियों (Rural Entrepreneurs) एवं उत्पादन केन्द्र व्यवस्थापकों से जमुई जिला के सभी पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता मार्ट एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित करती है। इनकी स्थापना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लोहिया स्वच्छता योजना के लिए दिशा निर्देशों के आलोक में की जानी है। चयनित उधमियों को स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई में Empanel किया जायेगा।

इच्छुक उधमियों के द्वारा "शौचालय के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों एवं प्रशिक्षित राज मिस्त्री एवं मजदूर की उपलब्धता" सुनिश्चित की जानी है। सूचीबद्ध उधमी पूर्व प्रमाणित शौचालय मॉडल लागत ₹12,000.00 या उससे अधिक के लिए सामग्री लाभुक को बेचगें तथा सीधे लाभुक से ही उसकी कीमत प्राप्त करेगें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना हेतु प्रखंडों में गठित प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छता योजना अन्तर्गत निर्मित शौचालय का सत्यापन कराकर योग्य परिवारों को ग्रामीण विकास विभाग के शर्त्ते के अनुसार उनके खातों पर ₹ 12,000.00 भुगतान करना सुनिश्चित करायेगा।

➢ **आवेदन का नियम एवं शर्त्ते :–**

- ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र वह दुकान है, जहॉ निजी एवं सामुदायिक स्वच्छता की जरूरत के लिए आवश्यक सभी सामग्री एक छत के नीचे उपलब्ध हो। यथा निर्माण की सामग्री – बालु, गिट्टी, बेसीन, गड्डे का ढक्कन, पौदान, पैन, रिंग, प्रशिक्षित राज मिस्त्री मजदूर आदि।

➢ **आवेदन कौन कर सकता है?:–**

- ग्रामीण उधमी/साझेदारी फर्म/कम्पनी/संस्था के रूप में निबंधित संस्था आवेदन कर सकती है। आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से वो कार्यशील एवं लगातार संचालित हो रहा है।
- आवेदन की तिथि से विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर 2 लाख रूपया प्रतिवर्ष से कम न हो।
- निजी उधमी जो आवेदन की योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते है। उधमी अपने व्यवसाय का संचालन अपनी क्षमता से करेंगे एवं उत्पादन या निर्माण के उद्देश्य से उन्हें कोई

अग्रिम भुगतान नहीं होगा। निर्माण के उपरांत सत्यापन एवं आवश्यक कागजात को जमा करने के बाद लाभार्थी के खाते में भुगतान किया जायेगा।

- चयनित उधमी/संस्था को सूचीबद्धता के 15 दिनों के अन्दर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करना होगा।

➢ **इच्छुक अधमी को अपने आवेदन के साथ निम्न तकनीकी दस्तावेज जमा करना होगा। :–**

- निबंधन प्रमाण की प्रति।
- अनुभव प्रमाण पत्र।
- मजदूर निबंधन प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड या आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
- तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र
- कार्यरत स्टाफ की विवरणी।
- उस आशय का शपथ–पत्र कि उधमी किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

➢ **आपेक्षित गतिविधियाँ :–**

- शौचालय विहिन परिवारों को शौचालय निर्माण की सामग्री, कुशल प्रशिक्षित राज मिस्त्री उपलब्ध कराना व स्वच्छता संबंधित आदतों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छता संबंधित सामग्री का संग्रह और ब्रिकी।

➢ **शौचालय का मॉडल :–**

- सूचीबद्ध उधमी जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उनके द्वारा बनाये जाने वाले विभिन्न मॉडलों को प्रस्तावित करेंगे। जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई उन मॉडलों में से तकनीकी रूप से ₹12,000.00 (बारह हजार रू0) वाले मॉडलों को बिक्रय हेतु अनुमोदित करेगी।

➢ **प्रोत्साहन राशि का भुगतान :–**

- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, की मार्गदर्शिका के अनुसार शौचालय निर्माण हेतु देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाता में ही किया जायेगा। किसी प्रकार का भुगतान उधमी को नहीं किया जायेगा।

➢ **सूचीबद्ध उधमी को सहायोग :–**

- सूचीबद्ध उधमी के संबंध में आवश्यक सूचनायें जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों एवं योग्य लाभुक के बीच प्रचारित कराया जायेगा। उन्हें शौचालय का स्वीकृत नक्शा एवं उधमी का सम्पर्क नम्बर/ पता उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उधमी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

➢ **वैधता :–**

- सूचीबद्धता की वैधता एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता पड़ने पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई द्वारा वैधता अवधि को बढ़ाई जा सकती है अथवा बिना कारण बताये प्रमाणित सूचीबद्धता से कार्य वापस लेने हेतु निर्णय ले सकती है। कार्य संचालन का क्षेत्र जिले के सभी गैर ओ0डी0एफ0 पंचायत में होगा। जिसे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरह की जानकारी हेतु जिला जल

एवं स्वच्छता समिति, जमुई के कार्यालय अथवा जिला के वेवसाइट https://jamui.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

- **आवेदन का तरीका :–**
  - इच्छुक ग्रामीण उधमी/साझेदारी फर्म/कम्पनी/संस्था संबंधित कागजतों के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र संलग्न कर निदेशक–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जमुई (डी0आर0डी0ए0.) पुराना कोषागार कार्यालय, समहरणालय, जमुई के कार्यालय से परिमाण विपत्र प्राप्त कर सकते है।
  - परिमाण विपत्र का मूल्य :–₹ 5000.00 (जो लौटाया नहीं जायेगा)
  - सुरक्षित जमा राशि :–₹ 50000.00 (पचास हजार रू0) का किसान विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र।
  - परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि :–दिनांक 04.05.2018 को अप0 05:00 बजे तक।
  - परिमाण विपत्र जमा करने की तिथि :–दिनांक 05.05.2018तक अप0 03:00 बजे तक।
  - परिमाण विपत्र जमा करने का स्थान :–निदेशक–सह–सदस्य–सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति(डी0आर0डी0ए0) पुराना कोषागार कार्यालय, समहरणालय, जमुई
  - तकनीकी बीड खोलने की तिथि :–दिनांक 05.05.2018 को अप0 03:30 बजे तक।

25/4/18

निदेशक
सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
जमुई